



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-23072026-274695
CG-MP-E-23072026-274695

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3736]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2026/आषाढ 24, 1948

No. 3736]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2026/ASHADHA 24, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (गतिशक्ति यूनिट)]

अधिसूचना

भोपाल, 9 जुलाई, 2026

का.आ. 3899(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989(रेल संशोधित अधिनियम 2008) की धारा 2 के खण्ड(7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मध्यप्रदेश राज्य के, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित जिले में विशेष रेल परियोजना “समपार फाटक क्र० 246 (रानी कमलापति-मिसरोद स्टेशन के मध्य) पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” के संबंध में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में क्रत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम. सं.	सक्षम अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-कोलार, जिला-भोपाल (म०प्र०)	भोपाल

[फा. सं. WCR. BPL0 GSU (GSMS)/1/2026]

अनुपम अवस्थी, मुख्य परियोजना प्रबन्धक

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Gati Shakti Unit)]

NOTIFICATION

Bhopal, the 9th July, 2026

S.O. 3899(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railway Act, 1989, (Railways Amendment Act, 2008) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official gazette in respect of the Special Railway Project of “**Construction of Road Over Bridge in lieu of LC No. 246 (between Rani Kamlapati-Misrod stations)**” in the state of Madhya Pradesh relating to District mentioned in column (3) of the table below for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE
Special Railway Project

Sr. No.	Competent Authority	District
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-Divisional Officer (Revenue), Tehsil-Kolar, District-Bhopal (M.P.)	Bhopal

[F. No. WCR. BPL0 GSU (GSMS)/1/2026]
ANUPAM AWASTHI, Chief Project Manager